

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ...C/3714/

जबलपुर, दिनांक 9/8/19

दो-13-19/19

श्री विवेक कुमार तिवारी, नवगठित सेवा के सदस्य (माली) <sup>शुल्क (कोर्ट अटेंडेंट)</sup> उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को आकस्मिक अवकाश एवं अर्जित अवकाश पात्रता शेष न होने के कारण दिनांक 18.07.19 एवं 19.07.19 कुल 2 दिन के उपभोग किये गये अवकाश को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही/-  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)


पृष्ठांकन क्रमांक...C/3715/

जबलपुर, दिनांक 9/8/19

दो-13-19/19

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम) (स्था.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री विवेक कुमार तिवारी, नवगठित सेवा के सदस्य (माली) <sup>शुल्क (कोर्ट अटेंडेंट)</sup> उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार (एम)  
26.8.19